मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४१ सन् २०१६

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियत हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १९ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में, - धारा ४ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(१) प्रत्येक जिले में, समिति में बीस सदस्य होंगे.

स्पष्टीकरण.- मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारंभ होने से पूर्व विद्यमान समिति के निर्वाचित और नामनिर्दिष्ट सदस्य अपनी चालू अवधि की समाप्ति तक, समिति के सदस्य बने रहेंगे.";

(दो) उपधारा (३) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ग) दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाऐंगे.";

(तीन) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(४) उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि तक पद धारणा करेंगे और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे. तथापि, कोई भी ऐसा सदस्य निरंतर पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए पद धारण नहीं करेगा. राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार इन सदस्यों का नामनिर्देशन, किसी भी समय उनकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व, समाप्त कर सकेगी.

स्पष्टीकरण.- मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारंभ होने से पूर्व विद्यमान समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य अपनी चालू अवधि की समाप्ति तक समिति के सदस्य बने रहेंगे.".

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात् :- धारा ५ का संशोधन.

"(ग) दो विशिष्ट व्यक्ति जो संबंधित जिले के निवासी हों, भारसाधक मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैसा कि धारा ४ की उपधारा (३) के खण्ड (क) में उपबंधित है) समिति की बैठक में स्थाई विशेष आमंत्रिती होंगे.

(घ) खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट आमंत्रिती दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे. तथापि, कोई भी ऐसा सदस्य निरंतर पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए पद धारण नहीं करेगा. राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार इन सदस्यों का नामनिर्देशन किसी भी समय उनकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व, समाप्त कर सकेगी.".

धारा ६ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (२) में, निम्नलिखित नया खण्ड और स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(तीन) समिति द्वारा उसे सौंपे गए कोई अन्य कार्य करना.

स्पष्टीकरण.- उपसमिति केवल ऐसे कार्यों के लिए गठित की जा सकेगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा समिति को इस प्रकार सौंपी गई शक्तियों के अंतर्गत आते हों.".

अनुसूची का विलोपन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची का लोप किया जाता है.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १९ सन् १९९५), भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३-य घ के अनुसरण में जिला योजना समितियां बनाने तथा राज्य सरकार के कारबार की मदों के संबंध में राज्य सरकार के कृत्यों के निर्वहन करने का उपबंध करता है.

२. राज्य सरकार अपने कारबार को संचालित करने हेतु, जिला योजना समितियों को अधिक दक्ष बनाने का आशय रखती है, जिससे जिला स्तर तक राज्य सरकार की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की संकल्पना को वास्तविक अर्थ में मूर्त रूप दिया जा सके. इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं, -

(एक) अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुसार दस, पंद्रह और बीस के विद्यमान उपबंध के स्थान पर समिति में सदस्यों की संख्या को बीस तक बढ़ाया जाना;

(दो) भारसाधक मंत्री द्वारा स्थाई विशेष आमंत्रिती के रूप में जिले से दो विशिष्ट व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करना. यह जिले में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जिला योजना समिति के लिए विशेषज्ञता लाने में मदद करेगा;

(तीन) जिला योजना समिति द्वारा सौंपे गए कोई विशेष क्रियाकलाप को करने हेतु उपसमितियां बनाना.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १८ दिसम्बर, २०१६

तरुण भनोत
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्र. १९ सन् १९९५) के उपाबंध से उद्दरण

*　　　*　　　*　　　*

धारा ४ (१) - समिति में भिन्न-भिन्न जिलों में १०, १५ या २० सदस्य होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए

*　　　*　　　*　　　*

धारा ४ (३) - (ग) जहां पर अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की संख्या- (एक) पन्द्रह है तो एक सदस्य, या (दो) बीस हैं तो दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

धारा ४ (४) - उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन नाम निर्देशित सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जैसी की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए

धारा ५ (१) - (क) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का, जो जिले में पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य समिति के सम्मिलनों में स्थायी विशेष आमंत्रित होंगे,

(ख) राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा सदस्य उनकी अपनी पसंद के एक जिले की समितियों के सम्मिलनों में स्थाई विशेष आमंत्रित होंगे,

*　　　*　　　*

धारा ९ (२) - (१) समिति इस अधिनियम के अधीन उसको सौंपे गये एक या अधिक कृत्यों के निर्वहन के लिए उप समितियों का गठन कर सकेगी, जिनमें समिति के सदस्य और स्थाई विशेष आमंत्रित होंगे.

(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उप समितियां विहित रीति में गठित की जाएगी :-

(एक) जिले में रोजगार के अवसरों के सृजन को मानीटर करने तथा स्वरोजगार सृजित करने वाली स्कीमों को सम्मिलित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय, करने के लिए

(दो) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की विशिष्ट स्कीमों के लिए योजना बनाने तथा उनका समन्वय करने के लिए,

*　　　*　　　*

अनुसूची

[धारा ४(१) देखिए]

अ.क्र. (१)	समिति का नाम (२)	सदस्यों की संख्या (३)
१.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :-	१०
१.	श्योपुर	
२.	दतिया	

(१)	(२)	(३)
३.	उमरिया	
४.	नीमच	
५.	हरदा	
६.	डिंडोरी	
२.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :-	१५
१.	पन्ना	
२.	दमोह	
३.	बड़वानी	
४.	होशंगाबाद	
५.	कटनी	
६.	नरसिंहपुर	
७.	अशोकनगर	
८.	अनूपपुर	
९.	बुरहानुपर	
३.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :-	२०
१.	मुरैना	
२.	भिण्ड	
३.	ग्वालियर	
४.	गुना	
५.	शिवपुरी	
६.	छतरपुर	
७.	मंदसौर	
८.	सतना	
९.	शहडोल	
१०.	सीधी	
११.	रतलाम	
१२.	उज्जैन	
१३.	शाजापुर	
१४.	देवास	
१५.	झाबुआ	
१६.	धार	
१७.	खरगौन	
१८.	खण्डवा	
१९.	राजगढ़	
२०.	विदिशा	
२१.	भोपाल	
२२.	सीहोर	
२३.	रायसेन	
२४.	बैतूल	

(१)	(२)	(३)
२५.	बालाघाट	
२६.	छिंदवाड़ा	
२७.	सिवनी	
२८.	सागर	
२६.	टीकमगढ़	
३०.	रीवा	
३१.	इन्दौर	
३२.	जबलपुर	
३३.	मण्डला	

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.